सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति
(2021-2022)

17वीं लोक सभा

76

छीहत्तरवां प्रतिवेदन

[जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान (उजाला सोसाइटी), जम्मू, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सभापटल पर रखे गए पत्रों पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

(16.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/फाल्गुन,1943(शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की सरंचना (2021-2022)		(iii)
प्राकथन		(v)
प्रतिवेदन	जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान (उजाला सोसाइटी), जम्मू, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सभापटल पर रखे गए पत्रों पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	01
<u>परिशिष्ट-I</u>	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/निष्कर्षों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण	02
<u>परिशिष्ट-II</u>	समिति की 20 दिसंबर 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश के उद्धरण	06

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन

(2021-2022)

सभापति

श्री रितेश पांडेय

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्ला कुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनिष कुमार रेवाड़ी - निदेशक
3. श्रीमती मंजिन्दर पब्बी - अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान (उजाला सोसायटी), जम्मू के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित 29वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी यह 76वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. 29वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनांक 23.09.2020 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने दिनांक 04.12.2020 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए, जिसमें 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया था। समिति ने 20 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग हेतु समिति उनकी सराहना करती है।

4 . समिति की टिप्पणियोंसिफारिशों/ को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली **रितेश पाण्डेय**
8 फरवरी, 2022 **सभापति**
19 माघ, 1943(शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान (उजाला सोसाइटी), जम्मू, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सभापटल पर रखे गए पत्रों पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है,जिसे ***23.09.2020*** को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था.

2. उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई नोट प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

3. समिति ने अपनी उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में वर्ष **2012-2013** से संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करने में शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की विफलता को इंगित किया था और उजाला सोसाइटी के दस्तावेजों को भविष्य में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

4. समिति नोट करती है कि सरकार ने उक्त प्रतिवेदन में की गई समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनके कार्यान्वयन के लिए कदम भी उठाए हैं।समिति को यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष **2018-2019** से, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समग्र शिक्षा शुरू की थी - कक्षा एक से बारहवीं तक के बच्चों को कवर करने वाली स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया था। तथापि, समिति यह नोट करने के लिए विवश है कि वर्ष **2018-2019** और **2019-2020** के लिए समग्र शिक्षा, जम्मू और कश्मीर के दस्तावेज दिनांक **13.02.2021** और **09.08.2021** को क्रमशः **13** महीने और **08** महीने से अधिक की देरी के साथ पटल पर रखे गए हैं। समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भविष्य में उजाला सोसाइटी के दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार से ठोस प्रयास करने की पुरजोर अपेक्षा करती है ।

नई दिल्ली **रितेश पाण्डेय**

20 दिसम्बर, 2021 **सभापति**

29 अग्रहरायण,1943 **(शक)** **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

परिशिष्ट-**I**

(प्रतिवेदन का पैरा **2** देखें**)**

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/ निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान (उजाला सोसाइटी), जम्मू

सिफारिश क्रम सं. : 13

समिति नोट करती है कि शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) और उजाला सोसाइटी, जम्मू ने सामान्य वित्तीय नियमावली 238 के उन प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया है जिनमें यह व्यवस्था दी गई है कि सोसाइटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किसी स्वायत्त संगठन या सोसाइटी के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर सदन के पटल पर रखा जाए।

सरकार का उत्तर

यह खेदजनक है कि संसद के सभा पटल पर उजाला सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है। विभाग ने संसद के दोनों सदनों में भविष्य में सख्त अनुपालन के लिए समिति की टिप्पणियों को नोट किया है। इसके अलावा, उजाला सोसाइटी को मंत्रालय में इन दस्तावेजों को समय पर जमा करने के लिए निर्देश दिया जाएगा ताकि संसद के दोनों सदनों में निर्धारित समय पर इसे प्रस्तुत किया जा सके। इस संबंध में समिति के निर्देश का पालन किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. 6-5/2020-आईएस.4, दिनांक 04.12.2020.

सिफारिश क्रम सं. : 14

समिति चिंता के साथ नोट करती है कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए सोसायटी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे 23 महीने से 35 महीने तक की देरी के साथ 28.11.2016 को सदन के पटल पर रखे गए थे। समिति आगे यह भी नोट करती है कि 2014-15 से 2017-18 तक के वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे 11 महीने से 19 महीने तक की देरी से सदन के पटल पर रखे गए थे। वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय ने इस मामले को संबंधित पक्ष के समक्ष रखा है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में ऐसी देरी न हो। वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा को अंतिम रूप देने में देरी के कारण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	विलंब के कारण
2012-13	हिंदी में अनुवाद और उसके बाद सरकारी प्रेस, जम्मू और कश्मीर द्वारा मुद्रण में हुई देरी के कारण।
2013-14	सितंबर, 2014 के महीने में विनाशकारी बाढ़ आने के कारण
2014-15	कुछ समय के लिए घाटी में अशांति से दस्तावेजों की छपाई में देरी हुई।
2015-16	कुछ समय के लिए घाटी में अशांति से दस्तावेजों की छपाई में देरी हुई।
2016-17	हिंदी अनुवाद और विलंब से मुद्रण के कारण विलंब हुआ
2017-18	कुछ समय के लिए घाटी में अशांति से दस्तावेजों की छपाई में देरी हुई।

वि.व. 2018-19 से, पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना का सर्व शिक्षा अभियान को एकीकृत समग्र शिक्षा योजना में विलय कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा सदन के सभा पटल पर अभी तक नहीं रखे गए हैं क्योंकि राज्य के पुनर्गठन के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंध के कारण मंत्रालय को रिपोर्ट देर से मिली है। उक्त रिपोर्टों को पेश करने के लिए संसद के 2020 के शीतकालीन सत्र तक विस्तारित समय ले लिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. 6-5/2020-आईएस.4, दिनांक 04.12.2020.

सिफारिश क्रम सं. : 15

समिति को बताया गया था कि अनुचित विलम्ब का मूल कारण कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने में देरी, रिपोर्ट के अनुवाद और मुद्रण में देरी, 2014 में आई विनाशकारी बाढ़, घाटी में सुरक्षा हालात/अशांति की स्थिति का होना था जिसके परिणामस्वरूप दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ। समिति चाहती है कि मंत्रालय/सोसाइटी को चाहिए कि वे भविष्य में इन दस्तावेजों को निर्धारित समय से सभा पटल पर रखने के अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए इस तरह के विलम्ब से बचने हेतु एक उचित प्रणाली विकसित करें।

सरकार का उत्तर

शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ त्रैमासिक प्रदर्शन समीक्षा बैठक आयोजित करता है जिसमें वार्षिक लेखों के लंबित रहने और अंतिम रूप देने की स्थिति की समीक्षा की जाती है। मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट में तेजी लाने के लिए राज्य कार्यान्वयन अधिकारियों के समक्ष भी मामले को रखता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मंत्रालय में योजना की वार्षिक चर्चा के दौरान, लंबित वार्षिक रिपोर्ट के मामले को विशेष रूप से राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों के संज्ञान में लाया जाता है। इस तरह लंबित रहने के मामले के अलावा भी, यदि कोई हो, तो मामले को राज्य परियोजना निदेशालय और राज्य शिक्षा सचिवों के समक्षअ.शा. पत्र के माध्यम से रखा जाता है। मंत्रालय में निदेशक और उससे ऊपर के स्तर पर महत्वपूर्ण मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की एक प्रणाली है। इस तरह से निगरानी किए जाने वाले मामलों में से वार्षिक रिपोर्ट भी एक है। वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत करने में देरी को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा के वास्तविक रुप से प्रस्तुत होने तक निरंतर आधार पर प्रगति की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. 6-5/2020-आईएस.4, दिनांक 04.12.2020.

सिफारिश क्रम सं. : 16

समिति शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) से अनुरोध करना चाहती है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उजाला सोसाइटी, जम्मू के वार्षिक प्रतिवेदनों व लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर निर्धारित समयावधि में नहीं रखा जा सका तो उन कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण कि इन अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समायवधि में सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका, 30 दिनों के अंदर या जब कभी सभा समवेत हो, या जो भी पहले हो, सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

सरकार का उत्तर

सदन के सभा पटल पर वार्षिक रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने में विलंब के कारणों की व्याख्या करने वाला विवरण हमेशा माननीय मंत्री जी के प्रमाणीकरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट के विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि, भविष्य में आगे अनुपालन के लिए समिति की सिफारिशें नोट कर ली गई हैं।

शिक्षा मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. 6-5/2020-आईएस.4, दिनांक 04.12.2020.

परिशिष्ट-II

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की बैठक का कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, **सोमवार**, 20 **दिसम्बर**, 2021 को 15:00 बजे से 16:50 बजे तक समिति कक्ष '**ग**', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
5. श्री सप्तगिरी **शंकर** उलाका
6. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. **श्रीमती सुमन अरोड़ा** - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. **श्रीमति मंजिन्दर पब्बी** - अवर सचिव

XX XX XX XX XX

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित **चार (4) प्रतिवेदनों** को विचार करने के लिए लिया :-

मूल प्रतिवेदन

i. नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एन.एम.एल.), नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा के पटल पर रखने में विलम्ब; तथा

ii. नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा के पटल पर रखने में विलम्ब ।

की गई कार्रवाई प्रतिवेदन

iii. जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान (उजाला सोसाइटी), जम्मू, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सभापटल पर रखे गए पत्रों पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सर कार द्वारा की गई कार्रवाई; और

iv. रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति द्वारा 17वीं लोक सभा के 26वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

4. चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के **इन चार** प्रारूप **प्रतिवेदनों** को स्वीकार किया। समिति ने संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त इन प्रतिवेदनो (केवल मूल प्रतिवेदन) के तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर इन प्रतिवेदनो को संसद में प्रस्तुत करने के लिए माननीय सभापति को अधिकृत किया।

5. से 17. **XX XX XX XX XX**

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

(XX- साक्ष्य कार्यवाही और उसके कार्यवाही सारांश जो विषय से संबंधित नहीं हैं, अलग से रखे गए हैं।)